न्यायालयः—माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र0 **R/2018** निगरानी-3401/2018/भिण्ड/भू.रा.

श्री ... द्वारा आज दि. 1-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1—कप्तानसिहं पुत्र तातीसिहं भदौरिया

2—रमेशसिहं पुत्र लाखनसिहं भदौरिया

3—राजाबेटी पत्नी श्री रमेशसिहं भदौरिया

समस्त जाति ठाकुर निवासीगण खड़ेरी तेहसील अटेर जिला भिण्ड म0प्र0

..................आवेदकगण

बनाम

1—राजकुमारसिहं पुत्र श्री लाखनसिहं भदौरिया

2—अरविन्दसिहं पुत्र श्री लाखनसिहं

3—दिलीपसिहं पुत्र श्रीरामसिहं भदौरिया

समस्त जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम खड़ेरी का पुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड म0प्र0

.... असल अनावेदकगण

4—अनारसिहं पुत्र तातीसिहं भदौरिया

5—मुस0चन्दोरिया वेवा तातीसिहं

6—लाखनसिहं पुत्र तातीसिहं

समस्त जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम खड़ेरी तेहसील अटेर जिला भिण्ड म0प्र0

...........तरतीवी अनावेदकगण

Filed by
MP Bhaduriya Adv
1/6/2018

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 3/5/2018 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अटेर जिला भिण्ड म0प्र0 प्र0क्र018/2017—18 अ0मा0अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1959

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3401/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.07.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि कि तहसीलदार अटेर द्वारा बंटवारा कार्यवाही के दौरान सभी सहखातेदार व्यक्तियों को विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बंटवारा नियमों के अनुसार विधिवत इश्तहार जारी कर उसका प्रकाशन कराया जाना रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा नियम 27 के अनुसार सभी हितधारी व्यक्तियों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत बंटवारा किए जाने के निर्देश तहंसीलदार को दिए। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	